रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 2011/माघ 19, 1932

No. 248] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 2011/MAGHA 19, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2011

का.आ. 289(अ).— केन्द्रीय सरकार, जैव-विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार के परामर्श से बिहार राज्य के ऐसे पौधों और पशुओं की प्रजातियां जो नीचे सारणी के स्तंभ (2) की सूची के अनुसार लुप्त होने के कगार पर हैं अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	पौधों के नाम
(1)	(2)
1	स्टिकोन्यूरोन मैम्बरानेसियम,(हुक.एफ.) हैन्स
	पशुओं के नाम
1	प्लेटिनेस्टा गैंगेटिका (रौक्सबर्ग,1801)
2	जिप्स बेंगालेंसिस (जीमेलिन, 1786)
3	ओफरिसिया सुपर सिलिओसा (ग्रे,1846)
4	रोडोनेसा केरिओफिलासिया (लाथम, 1790)
5	सरकोजिप्स कैलबस (स्कोपोलि, 1786)
6	गैविएलिस गैंगेटिक्स (जीमेलिन, 1789)

3. सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध पौधों और पशुओं की जातियों के संग्रह का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ही बिहार राज्य जैव-विविधता बोर्ड के अनुमोदन के सिवाय प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) वैज्ञानिक अनुसंधान;

(ख) वैज्ञानिक और शैक्षिणिक संस्थाओं के वनस्पति संग्रहालय और संग्रहालय ;

459 GI/2011

(ग) प्रचार; और

(घ) कोई अन्य वैज्ञानिक अन्वेषण ।

3. बिहार राज्य जैव-विविधता बोर्ड निम्नलिखित का भार अपने ऊपर लेगा -

(iv) संपूर्ण समझ के लिए अधिसूचित प्रजातियों के सभी पहलुओं का अध्ययन ;

(v) यथावत और पूर्ववत संरक्षण तथा पुर्नवास के प्रयोजन हेतु अधिसूचित प्रजातियों का प्रचार; और

(vi) वन विभाग के कार्मिक, जैव-विविधता प्रबंध समितियों, पारिस्थितिक पर्यटन कार्यक्रमों और वनवासियों और जनजातियों के लिए अधिसूचित प्रजातियों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

[फा. सं. 28-12/2008-सीएस-III]

हेम पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2011

S.O. 289(E).—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government, in consultation with the Government of Bihar, hereby notifies the species of plants and animals which are on the verge of extinction, as listed in column (2) of the Table below, for the State of Bihar, namely:—

Table

Sl.No.	Name of the Plants
(1)	(2)
1	*Chrysopogon hamiltonii* (Hook.f.) Haines
	Name of Animals
1	*Platinesta gangetica* (Roxburgh,1801)
2	*Gyps bengalensis (Gmelin, 1788)*
3	*Ophrysia superciliosa* (Gray, 1846)
4	*Rhodonessa caryophyllacea* (Latham, 1790)
5	*Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786)
6	*Gavialis gangeticus* (Gmelin, 1789)

2. The collection of the species of plants and animals listed in column (2) of the Table shall be prohibited, except with the approval of the Bihar State Biodiversity Board only for the purposes mentioned below, namely:-

(a) scientific research;

(b) herbarium and museum of scientific and academic institutions;

(c) propagation; and

(d) any other scientific investigation.

3. The Bihar State Biodiversity Board shall undertake:-

(i) studies on all aspects of the notified species for holistic understanding;

(ii) propagation of the notified species for the purpose of *in situ* and *ex situ* conservation and rehabilitation; and

(iii) awareness programmes and provide educational materials on notified species for forest department personnel, Biodiversity Management Committees, ecotourism programmes, and forest dwellers and tribals.

[F. No. 28-12/2008-CS-III]

HEM PANDE, Jt. Secy.